प्रेस नोट, जालौन पुलिस
दिनांक – 19.10.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 30.09.2024 को वादिया ने थाना कदौरा में तहरीरी सूचना दी कि अभियुक्त बाबू मिस्त्री पुत्र स्व0 रमईया नि0 ग्राम हरचन्दपुर थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा वादिया के पति अरूण को जान से मारने की नियत से सीने में लोहे की सरिया मार देना। जिसके संबन्ध में थाना कदौरा में वादिया की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 160/2024 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना कदौरा पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसके फलस्वरूप थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्त बाबू मिस्त्री पुत्र स्व0 रमईया नि0 ग्राम हरचन्दपुर थाना कदौरा जनपद जालौन को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. बाबू मिस्त्री पुत्र स्व0 रमईया नि0 ग्राम हरचन्दपुर थाना कदौरा जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कदौरा मय पुलिस टीम।